रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA REGISTERED No. D.L.-33002/99

Delhi Gazette

असाधारण EXTRAORDINARY प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 69] No. 69] दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 22, 2014/ज्येष्ठ 1, 1936

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 32

DELHI, THURSDAY, MAY 22, 2014/JYAISTHA 1, 1936

[N.C.T.D. No. 32

भाग—IV PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 22 मई, 2014

सं. एफ.5/पीए/सैक्ट्री/एसटीए/2013/97.— मार्ग वाहन अधिनियम, 2007 (2007 का 41) की धारा 19 की उपधारा (1) द्वारा प्रवत्ता शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल निम्न अनुसूची के कालम 4 के नीचे उल्लिखित अधिकारियों को कालम 2 के नीचे उल्लिखित धारा के अन्तर्गत दण्डनीय उक्त अधिनियम के अन्तर्गत किये गए यातायात अपराध के लिये अनुसूची के सम्बद्ध कालम 3 के नीचे विनिर्दिष्ट राशि सहित दण्डित करने के लिये प्राधिकृत करते हैं:—

कम संख्या	अपराध कौन सी धारा के अन्तर्गत दण्डनीय है	विनिर्दिष्ट समाधान अर्थदण्ड की राशि (रूपये)	जिस अधिकारियों को अर्थदण्ड लगाने का प्राधिकार दिया गया है
1.	18(1) (प्रथम अपराध)	4,500/-	परिवहन विभाग के सहायक उप निरीक्षक के रैंक या ऊपर के रैंक के अधिकारी
2.	18(1) (दूसरा अपराध)	9,000/-	परिवहन विभाग के सहायक उप निरीक्षक के रैंक या ऊपर के रैंक के अधिकारी

21/0

- 2. प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा लगाए गए अर्थदण्ड की राशि, परिवहन विभाग दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 'मुख्य शीर्षक 0041' वाहनों पर कर , 101—आईएमवी (शुल्क एवं अर्थदण्ड) में जमा कराई जाण्गी।
- 3. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में अपनी प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर ज्ञानेश भारती, आयुक्त (परिवहन)

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 22nd May, 2014

No.F.5/PA/Secy./STA/2013/97.- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 19 of The Carriage by Road Act, 2007 (41 of 2007), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to authorize the officers as mentioned in Column No.4 of the Schedule given below to compound traffic offence committed under the said Act punishable under the section mentioned in Column 2, with the amounts specified in the corresponding Column 3 of the Schedule:-

S. No.	Section under which offence is punishable	Amount for composition specified (Rs.)	Officers to whom authority is conferred to compound
1.	18 (1) (1 st offence)	4,500/-	Officers of the rank of Assistant Sub-Inspector & above of Transport Department
2.	18 (1) (2 nd offence)	9,000/-	Officers of the rank of Assistant Sub-Inspector & above of Transport Department

- 2. The amount compounded by the authorized officers shall be deposited in the "Major Head 0041, Taxes on vehicles, 101-IMV (Fees & Fine)", of the Transport Department, Government of NCT of Delhi.
- 3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the official Gazette.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi,

GYANESH BHARTI, Commissioner (Transport)